P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

मजबूत होता भारत का लोकतंत्र और चुनाव सुधार

हरबीर सिंह डागुर
सहायक आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग
महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय,
भरतपुर

सारांश

भारत में चुनाव दिनों दिन सुदृढ़ होते गए हैं। चुनावी सुधारों की लंबी श्रृंखला के कारण भारत की निर्वाचन प्रणाली सुदृढ़ हुई है। निर्वाचन कानून में नयी चुनौतियों और नयी परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अनेक संशोधन किये गए हैं। 1989 में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, राज्यसभा चुनावों में खुले मतपत्र से मतदान और 2003 में सशस्त्र बलों और अर्द्ध सैनिक बलों के मतदाताओं को प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) के जरिये मतदान करने का अधिकार देना कुछ अति महत्वपूर्ण संशोधन है। मतदाता सूची में प्रवासी भारतीय नागरीकों के नाम दर्ज कराने का प्रावधान 2011 के संशोधन में किया गया है। निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के उपयोग का अधिकार देने और पुलिस अधिकारियों सहित चुनाव कराने वाले सभी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार आयोग को देने से भारत के निर्वाचन आयोग की शक्ति मिली है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2014 के आम चुनाव में 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वोटर वैरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली की शुरूआत की जिसे आम चुनाव 2019 में सभी 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया। मुद्रित मतदाता सूची का स्थान अब कंप्यूटरीकृत फोटो मतदाता सूची ने ले लिया है। मतदाता फोटो पहचान–पत्र (ईवीआईसी) अब सभी नागरिकों की संजोई हुई संपत्ति बन चुकी है।

मुख्य शब्द : चुनाव सुधार, बीएलओ, वीडीओ ग्राफी, संवेदनशील, माईक्रो, ईवीएम, वीवीपैट, निर्वाचन आयोग, लोकतांत्रिक, सुदृढ़ीकरण, आयुक्त, महाभियोग, कार्यकर्ता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, नोटा, जनप्रतिनिधित्व, संविधान।

प्रस्तावना

माईकल फोकाल्ट ने कहा है लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया एक प्रकार से वहां खिडकियां खोलती हैं जहां कभी दीवारें हुआ करती थीं। चुनावी प्रक्रिया में परिर्वतन का सूत्र जनता के हाथों में रहता है। यही तथ्य लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनाता है। चुनावी प्रक्रिया की असफलता लोकतंत्र को खंडहरों में बदल देती है।

भारत में अनेक सुधार स्वयं निर्वाचन आयोग की ओर से किये गए है। राजनीतिक दलों द्वारा प्रवर्तित आदर्श आचार संहिता को निर्वाचन आयोग ने संहिताबद्ध किया और 1990 के दशक से उस पर सख्ती से अमल करना शुरू कर दिया। चुनावी कानून में राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता तथा उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। परंतु आयोग ने 1951–52 के पहले आम चुनाव के समय स्वयं ही पहल कर राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हे चुनाव चिन्ह आवंटित करने का काम हाथ में लिया। बाद में निर्वाचन आयोग ने, 1968 में चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश जारी कर निर्देशों का संचित रूप जारी किया। सत्तर के दशक के उत्तरार्द्ध में आयोग ने मशीनों के जरिये मतदान करने की संभावना को टटोलना शुरू किया। अब 2000 के बाद से, सभी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव मतदान मशीनों के जरिये ही कराए जा रहे हैं। 1990 के दशक के अतं में, आयोग ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का कंप्यूटरीकरण कर दिया। मतदाता सूचियों की विश्वसनीयता में और सुधार लाते हुए आयोग ने देश के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) नियुक्त करने की प्रथा प्रारंभ की। इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की घनिष्ठ सहभागिता के लिये प्रत्येक मान्यताप्राप्त दल को बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया ताकि बीएलओ की निष्पक्षता पर अंकुश रहे। आयोग ने फर्जी मतदान रोकने के लिये 1993 में सभी मतदाताओं के लिए फोटो वाले पहचान–पत्र की प्रथा प्रारंभ की।

1990 के दशक में ही, आयोग ने चुनावी प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी के लिये केन्द्रीय पर्यवेक्षकों एवं केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनाती के साथ–साथ वीडियोग्राफी और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सूक्ष्म (माइक्रो) पर्यवेक्षकों को तैनात करना शुरू किया।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत में चुनाव सुधारों की आवश्यकता और निर्वाचन आयोग द्वारा किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराना है। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जितने मत अमेरिकी राष्ट्रपति को मिले उतने हमने पिछले लोकसभा चुनाव (2014) से वर्तमान लोकसभा चुनाव (2019) तक जोड लिये हैं। भारतीय चुनावों को सर्वत्र गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय निर्वाचन का स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी, सुगम, नैतिक एवं जन सहभागी बने रहना आवश्यक है और शोधार्थियों को ऐसे प्रयासों से अवगत होना भी आवश्यक है।

चुनाव सुधार की आवश्यकता

हमार विश्वास है कि शासन में सुधार लाने के लिए और देश को प्रगतिशील बनाने के लिए सही नेताओं का चुनाव अति आवश्यक है। हमारे अनुभव व विश्लेषण से देखा गया है कि सत्ता में रहने के उपरान्त निर्वाचित प्रतिनिधियों की संपत्ति में कई गुना वृद्धि होती है। चुनाव अभियान के दौरान किए खर्च की वसूली, निर्वाचित प्रतिनिधि, अपने कार्यकाल के दौरान धन की एक बड़ी राशि एकत्रित करते हैं। इसलिए हमें ऐसा माहौल तैयार करने की आवश्यकता है जिससे सक्षम, ईमानदार, कानून के पाबंद नागरिक लोकसभा/विधानसभाओं में निर्वाचित हो सकें। लोकतांत्रिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है इसलिए राजनीतिक दलों पर न्यायपालिका, नागरिक समाज संगठनों, केंद्रीय महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे संस्थानों का निरंतर दबाव अति आवश्यक है। सही नेताओं को चुनने के लिए मतदाताओं में जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतदाताओं को यह समझाना होगा कि जो नेता आज उनका मत खरीदता है वह कल उनके भविष्य से समझौता करेगा।

अभी भी ऐसे अनेक क्षेत्र है जिनके बारे में जनसाधारण, स्वयंसेवी व सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल चिंता जताते रहे हैं। मोटे तौर पर ये निम्न हैं :– (क) वे जो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे
(ख) वे जो राजनीति को स्वच्छ बनाने में मदद करेंगें
(ग) वे जो राजनीति कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी रूप देगें।

भारतीय निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और सुदृढ़ीकरण

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

यह तथ्य, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति सरकार करती है अपने आप में ही नियुक्त व्यक्ति की निष्पक्षता के प्रति संदेह का कारण बन सकता है। इस महत्वपूर्ण कार्यालय में नियुक्ति एक निर्वाचक मंडल के साथ व्यापक विचार–विमर्श पर आधारित होनी चाहिए। परंतु यह केवल नये निर्वाचन आयुक्त के चयन के समय तक ही सीमित होना चाहिये। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर प्रोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर ही होनी चाहिये। उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के मामले में वरिष्ठता को जो वरीयता दी जाती है, वही प्रक्रिया निर्वाचन आयोग में भी होनी चाहिये। पदमुक्त हो रहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नये आयुक्त के चयन और नियुक्ति के लिए बनाए जाने वाले निर्वाचक मंडल का सदस्य बनाना उपयोगी होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग के सिवाय किसी और तरह से नहीं हटाया जा सकता। इसी तरह की व्यवस्था अन्य निर्वायन आयुक्तों के लिये भी किया जाना आवश्यक है। 17वीं लोकसभा चुनाव के बाद उपर्युक्त बातों को अत्यधिक गंभीरता से लेना चाहिए ताकि सभी लोगों का चुनाव आयोग में विश्वास बना रहे।

संस्थानों पर विश्वास

	सबसे अधिक	थोड़ा	बिल्कुल भी नहीं
चुनाव आयोग	45.9	31.1	23.0
न्यायपालिका	41.6	34.2	24.2
स्थानीय शासन	39.0	37.8	23.2
राज्य सरकार	37.2	43.6	19.2
केन्द्र सरकार	35.2	42.5	22.3
निर्वाचित प्रतिनिधि	19.2	40.4	39.7
राजनीतिक दल	17.4	43.6	39.0
सरकारी कर्मचारी	17.2	40.4	42.3
पुलिस	13.0	29.9	57.1

स्त्रोत : मित्रा एंड सिंह, डेमोक्रेसी एंड सोशल चेंज (दिल्लीः सेज, 1999) पृष्ठ 260

भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह अत्यावश्यक है कि आम नागरिकों की आस्था इन संस्थानों में दिन व दिन सबसे अधिक बढ़े तभी हम अपने आप को सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक के रूप में गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं।

राजनीति की स्वच्छता

राजनीति का अपराधीकरण

राजनीति के अपराधीकरण से चिंतित, निर्वाचन आयोग ने 1998 में एक प्रस्ताव सरकार को भेजा जिसका उद्देश्य गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने से मना करना था। अनेक राजनीतिक दलों ने इस आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध किया कि विरोधियों द्वारा उनके प्रत्याशियों के विरूद्ध झूठे आपराधिक मामले दायर किये जा सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया में जुड़ी शोध संस्था 'एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) द्वारा लोकसभा चुनाव परिणाम की 25 मई 2019 को जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मुकदमों से घिरे सांसदों की संख्या में 2009 के बाद से 44 प्रतिशत इजाफा हुआ है। करोड़पति सांसदों की संख्या 2009 में 58 प्रतिशत थी जो 2019 में 88 प्रतिशत हो गई। रिपोर्ट

के अनुसार 2009 के लोकसभा चुनाव में आपराधिक मुकदमे वाले 162 सांसद (30प्रतिशत) चुनकर आये थे, 2014 के चुनाव में निर्वाचित ऐसे सांसदों की संख्या 185 (34 प्रतिशत) थी। एडीआर ने नवनिर्वाचित 542 सांसदों में 539 सांसदों के हलफनामों के विश्लेषण के आधार पर बताया कि इनमें से 159 सांसदों (29 प्रतिशत) के खिलाफ हत्या, हत्या के गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। पिछली लोकसभा में गंभीर आपराधिक मामलों के मुकदमों में घिरे सदस्यों की संख्या 112 (21 प्रतिशत) थी, वहीं 2009 में ऐसे सांसदों की संख्या 76 (14 प्रतिशत) थी। पिछले तीन चुनावों में गंभीर मामलों का सामना कर रहे सांसदों की संख्या में 109 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सत्तारूढ़ दल इस हथकंडे द्वारा विरोधियों की चुनाव में जीत की संभावना निरस्त कर सकते हैं। यह चिंता उचित ही है। निर्वाचन आयोग ने इससे बचाव के लिये तीन उपाय सुझाये हैं :

1. सभी आपराधिक मामले चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकेंगे, केवल हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण अथवा नैतिक चरित्रहीनता जैसे मामलों के आरोपी को चुनाव नहीं लडने दिया जाएगा।
2. मामला चुनावों के कम से कम 6 महीने पूर्व दायर हुआ होना चाहिए।
3. आरोप न्यायालय द्वारा दायर होना चाहिये। किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकने का औचित्य व्यापक जनहित में ही होना चाहिए। इस प्रस्ताव के विरोधियों का तर्क था कि देश का कानून कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध न हो जाए, वह निर्दोष होता है।

इस तर्क के विपरीत मेरा कहना है कि जेलों में बंद लोगों में से दो तिहाई पर अभी मुकदमा चल ही रहा है और इसलिये, वे निर्दोष हैं। फिर भी वे जेलों में बंद हैं और वे स्वतंत्रता, जीने की आजादी, व्यवसाय की स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार से वंचित हैं। यदि किसी अभियोगाधीन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो फिर चुनाव लड़ने के अधिकार पर अस्थायी रोक लगाने पर इतना विरोध क्यो ? वैसे भी चुनाव लड़ने का अधिकार केवल संवैधानिक अधिकार ही है। सोलहवी लोकसभा में 186 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने अपने सपथ पत्रों में घोषणा की थी कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले बकाया हैं। 2004 की लोकसभा में ऐसे सदस्यों की संख्या 125 और 2009 में 162 थी। वर्तमान लोकसभा में ऐसे सदस्यों की संख्या 159 है। केरल के 90 प्रतिशत सदस्य दागी हैं और बिहार के 82 प्रतिशत। केरल में इडुक्की से चुन कर आये कांग्रेस के सांसद डीन कुरियाकोस पर 204 अपराधिक मामले लम्बित हैं। भाजपा के जीत कर आये 303 सदस्यों में से 116 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। कांग्रेस के 52 में से 29 पर आपराधिक मामले हैं।

वास्तव में यह निराशाजनक ही है कि सरकार और संसद हमारी निर्वाचन प्रणाली को साफ–सुथरा बनाने के इस अहम उपाय पर अपने पैर पीछे खींच रही है। संसद और राज्यों के विधानमंडलों पर लगे दाग को मिटाने की दिशा में यह निर्णायक कद्म हो सकता है। इस सुधार से उन नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मुंह बंद किया जा सकता है जो सभी नेताओं पर लांछन लगाया करते हैं।

राजनीतिक दलों की पारदर्शिता बढ़ाना

राजनीतिक दलों का पंजीकरण और पंजीकरण रद्द करने का मामला : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के वैधानिक प्रवधानों के अंतर्गत राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग में होता है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29ए के तहत किसी भी राजनीतिक दल के पंजीकरण वैध आवेदन की वैधानिक आवश्यकताओं में से एक है कि दल को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र तथा भारत की एकता, प्रमुखता और अखंडता को बनाए रखने का वचन देना होगा।

राजनीतिक दल, यद्यपि पंजीकरण के समय इन वैधानिक प्रावधानों को मानने का वचन देते हैं, परन्तु निर्वाचन आयोग के पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं कि इस वचन का उल्लंघन करने की स्थिति में उनके विरूद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई कर सके अथवा उनका पंजीकरण रद्द कर सके। आयोग ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया हुआ है जिसमें आयोग को राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देने की बात कही गयी है।

राजनीतिक दलों के लेखा खातों में पारदर्शिता आवश्यक

वर्तमान कानून में प्रत्याशियों के चुनावी व्यय की सीमा तय की गई है, धन जमा करने और व्यय करने के बारे में कोई नियम–कानून नहीं है और न ही उनके लेखा–खाते सार्वजनिक किये जाते हैं कि कोई भी उसे देख सके। पारदर्शिता लाने के लिए आयोग ने प्रस्ताव किया है कि राजनीतिक दलों के खातों का लेखा–जोखा परीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट चार्टट एकाउंटेंट से ही कराया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त इन अपेक्षित खातों को सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिये।

अस्वीकार करने का अधिकार

हाल ही में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नापंसद प्रत्याशियों को अस्वीकार करने का अधिकार की मांग की है। इसके लिये 'नोटा' (उपर्युक्त में से कोइ नहीं) का प्रावधान लागू करने की मांग की जा रही थी जो उच्चतम न्यायालय ने 2013 में स्वीकार कर लिया। परंतु अस्वीकार करने का अधिकार अर्थात 'राइट टू रिजेक्ट' लागू नहीं किया।

'उपयुक्त कोई नहीं' (नोटा)

नोटा का उपयोग पहली बार भारत में 2009 में किया गया था। दिसम्बर 2013 के विधानसभा चुनावों में (छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन में NOTA (नन् ऑफ दा एबव) बटन उपलब्ध कराने के आदेश दिये। इस तरह अस्वीकार करने के अधिकार के इस्तेमाल के लिये जो तरीका अपनाया गया है उसे 2018 में पहली बार उम्मीदवारों के समकक्ष दर्जा मिला। हरियाणा में दिसम्बर 2018 में नगर निगम चुनावों के लिए हरियाणा निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया कि नोटा के विजयी रहने पर सभी प्रत्याशियों को अयोग्य

घोषित किया जायेगा और पुनः चुनाव करवाये जायेगें। हो सकता है भविष्य में इसे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा भी अपनाया जाये।

वापस बुलाने का अधिकार

निर्वाचन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार एक और चुनावी सुधार है। जिसकी मांग अन्ना हजारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता उठाते रहे हैं। साराशं में, वापस बुलाने का अधिकार अर्थात राइट टू रिकॉल, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिये मतदाता निर्वाचित सांसद अथवा विधायक को अपदस्थ कर सकते हैं। परंतु इसमें इस बात की बड़ी मजबूत संभावना है कि पराजित उम्मीदवार चुनाव हारने के तुरंत बाद ही यह रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति में निर्वाचित जनप्रतिनिधि को जमने का जरा भी मौका नहीं मिलेगा।

अनिवार्य मतदान

एक और चुनाव सुधार जिसकी प्रायः चर्चा की जाती है, वह है अनिवार्य मतदान। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की उदासीनता को देखते हुए अनिवार्य मतदान की मांग की जाती रही है। मेरा हमेशा से यह विचार रहा है कि अनिवार्यता और लोकतंत्र साथ–साथ नहीं चल सकते। अतः आयोग का यह सुविचरित दृष्टिकोण है कि शिक्षा और जागरूकता से मतदाताओं की भागीदारी बढ़ायी जा सकती है। यह तथ्य 2010 के बाद हुए आम चुनावों से भलीभाँति स्पष्ट होता है। आम चुनाव (2019) में तो कुछेक निर्वाचन क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से भी अधिक मतदान हुए हैं। इन उपायों के फलस्वरूप देश के सत्तर वर्षों के चुनावी इतिहास में पिछले दो आम चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है। जबरदस्ती के बजाय अभिप्रेरणा और सुविधाओं से इस मुद्दे का समाधान निकाला जाना चाहिए। हाल के आम चुनावों से इस बात की पुष्टि हो जाती है।

'पेड न्यूज' को चुनावी अपराध बनाने के लिये कानूनों में संशोधन

पेड न्यूज, अर्थात पैसे देकर खबर प्रकाशित या प्रसारित करवाना, हाल की पेशकश है, जो जोर पकड़ता जा रहा है। इसको रोकने के लिये आयोग ने 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। आयोग का प्रस्ताव है कि जनप्रतिनिधित्व कानून में यह प्रावधान सम्मिलित किया जाना चाहिए कि किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने अथवा घटाने के लिये 'पेड न्यूज' के प्रकाशन अथवा प्रसारण में सहायता देने वाले कृत्य को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत चुनावी अपराध घोषित किया जाना चहिये जिसके लिए न्यूनतम दो वर्ष कारावास की सजा होनी चाहिये।

चुनावी अपराधों की सजा बढ़ायी जानी चाहिए

चुनाव में भेजा गया रिश्वत और दबाव, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 171बी और 171सी के तहत चुनावी अपराध है। ये अपराध असंज्ञेय अपराध हैं, जिसके कारण ये प्रावधान वस्तुतः निष्प्रभावी हो गये हैं।

धारा 171जी के अंतर्गत चुनाव परिणाम प्रभावित करने के आशय से चुनाव संबंधी गलत विवरण देना एक ऐसा अपराध माना गया है। जिसके लिये केवल जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

धारा 171एच में प्रावधान है कि किसी उम्मीदवार की चुनावी संभावनाओं की उन्नति के लिये व्यय करना अथवा व्यय के लिये अधिकृत करना एक अपराध है। परंतु इस अपराध के दंड स्वरूप रू. 500 के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साठ वर्ष पूर्ण यह राशि इस अपराध को रोकने के लिये पर्याप्त होगी। परंतु आज यह हास्यास्पद लगती है।

इन सजाओं का प्रावधान 1920 में किया गया था। उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत अपराधों की गंभीरता को देखते हुये निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के लिये सभी चार धाराओं में दंड के प्रावधानों में वृद्धि की जानी चाहिए और इन्हें संज्ञेय बनाया जाना चाहिये।

सरकार के कार्यकाल के अंतिम छह महीनों में उसकी उपलब्धियों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगया जाना चाहिये। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों और भोजन संबंधी उपायों जैसे कार्यक्रमों के जरूरी विज्ञापनों/सूचना के प्रसार को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा जा सकता है।

पिछले चार दशक में राष्ट्रीय स्तर की सात समितियां और आयोग बनाए गए, जिन्होंने राजनीतिक प्रणाली को स्वच्छ करने के लिये अनेक सुझाव दिए है अथवा चुनाव सुधारों की पैरवी की है। निर्वाचन आयोग ने भी अपनी ओर से अनेक सिफारिशें की हैं और कई अनुशासनात्मक प्रस्ताव दिए हैं। सरकार के पास दस से बीस वर्षों से सुधार के ये सभी प्रस्ताव लंबित हैं। इस बीच, राजनीतिक प्रणाली के प्रति लोगों के गिरते भरोसे का समाधान निकालने के लिये सरकार गंभीर है तो उसे तत्काल कदम् उठाने होंगे ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाने पाए। दीवार पर लिखी इबारत बिल्कुल स्पष्ट है। हमें केवल उसे देखकर समझने की जरूरत है।

हिंसक चुनावी राजनीति के खिलाफ सख्त कदम की आवश्यकता

2014 का आम चुनाव 9 चरणों में सम्पन्न हुआ और 2019 का 7 चरणों में सम्पन्न हुआ। मतदान के सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ता है और चुनाव का सम्पूर्ण साजो सामान प्रत्येक बूथ तक पहुंचाना होता है। ऐसे में यदि धनबल, बाहुबल काम में लिया जाता है तो सरकारी मशनरी के सफलता पूर्वक आम चुनाव को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने के उत्साह को तोड़ता है। 2014 के आम चुनाव में छत्तीसगढ़ में एक पुलिस स्टेशन के बाहर दिन दहाडे माओवादी हमले में अर्द्धसैनिक बलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सुरक्षा बलों से सीधी मुटभेड़ माओवादीओं के स्थानीय नियंत्रण की पुष्टि करने का सबसे प्रभावी तरीका था। इस प्रकार के हमले की रणनीति पहले से ही तैयार कर ली जाती है। 2019 के आम चुनावों में चुनावी हिंसा का ऐसा भयावह रूप देखने को मिली कि चुनाव आयोग द्वारा बंगाल में प्रचार पर समय पूर्व ही प्रतिबंध लगाना पड़ा। बीजेपी के वर्तमान सरकार के अध्यक्ष तक को हिंसा का शिकार होना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कहना पड़ा कि गुण्डे बन्दूक, बम लेकर सबकुछ बर्वाद करने को ऊतारू हैं।

अरूणाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर हत्यायें कर दी गई और ये चुनावी हिंसा चुनाव बाद भी थमने का नाम भी नहीं ले रही।

जरूरी यह है कि ये पुष्टि होने पर ऐसी हिंसा में जिस राजनेता का हाथ था उसको सजा मिलने के साथ–साथ आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि आम नागरिकों का लोकतंत्र पर भरोसा कायम रहे। राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को जब तक कुछ खोने का डर नहीं होगा तब तक हिंसा ऐसे ही होती रहेगी।

वोटर वैरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)

वोटर वैरिफाइड पेपर ट्रेल (पीपीपैट) या वेरिफाइड पेपर रिकार्ड (पीपीआर) एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। एक पीपीएपीएटी मतदाता मशीन के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली के रूप में लक्षित है, जिससे मतदाताओं को यह सत्यापित करने के लिए अनुमति दी जाती है कि उनका वोट सही ढ़ंग से डाला गया, संभावित चुनाव धोखाधड़ी या खराबी का पता लगा सके, और संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट करने के लिए साधन प्रदान कर सके। उम्मीदवार (जिनके लिए मतदान किया गया है) और पार्टी/व्यक्तिगत उम्मीदवार का प्रतीक।

भारत में, भारतीय आम चुनाव 2014 में एक पायलट परियोजना के रूप में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 8 में वोटर वैरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) प्रणाली की शुरूआत की गई थी। वीवीएपीएटी लखनऊ, गांधीनगर, बैंगलोर दक्षिण, चैन्नई सेंट्रल, जादवपुर, रायपुर, पटना साहिब और मिजोरम निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यान्वित है। मतदाता सत्यापित पेपर लेखापरीक्षा का निशान पहली बार भारत में सितंबर 2013 में माकसेन (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र) में नागालैंड में एक चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। वीवीएपीएटी से जुडा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वशीन (ईवीएम) 2017 विधानसभा चुनावों में संपूर्ण गोवा राज्य में इस्तेमाल किया गया था। जून 2018 में भारत निर्वाचन आयोग कंट्रास्ट सेंसर और पेपर रोल के शीर्ष पर एक अंतर्निहित हुड पेश किया जो सभी वीवीपीएटी में आर्द्रता को अत्यधिक प्रकाश और गर्मी से रोकने के लिए काम करता है। वीवीएपटी प्रणाली जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ईवीएम स्लिप पैरा करके प्रत्येक वोट कास्ट दर्ज करने में सक्षम बनाती है को भारतीय आम चुनाव, 2019 में सभी 543 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपयोग किया गया था।

लोकसभा चुनाव के दौरान इवीएम की विश्वसनीयता पर विपक्षी दलों की ओर से जमकर सवाल उठाए जा रहे थे और इस कारण उनकी ओर से इवीएम और वीवीपैट की ज्यादा से ज्यादा पर्चियों की मिलान की मांग भी की जा रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं कि इवीएम और वीवीपैट का मिलान पूरी तहर से सही निकला और विपक्ष की शंका गलत साबित हुई। सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुसार, 20,625 वीवीपैट में से एक भी मशीन के मिलान न होने की खबर नहीं मिली। इस साल चुनाव में 90 करोड़ मतदाताओं को नई सरकार के लिए अपना मत देना था, जिसके लिए आयोग ने कुल 22.3 लाख बैलेट यूनिट, 16.3 लाख कंट्रोल यूनिट और 17.3 लाख वीवीपैट इस्तेमाल की थी। इस बार 17.3 लाख वीवीपैट में से 20,625 वीवीपैट का इवीएम से मिलान किया गया। जबकि पिछली बार महज 4125 वीवीपैट का इवीएम से मिलान किया गया था। इससे पहले 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद चुनाव आयोग ने हर लोकसभा सीट के कम से कम 5 पोलिंग बूथ पर इवीएम और वीवीपैट का मिलान की व्यवस्था की। वीवीपैट की व्यवस्था 2013–14 में शुरू की गई थी।

निष्कर्ष

19 मई को अंतिम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार 17 मई की शाम को खत्म होने थे लेकिन चुनाव आयोग ने भरतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में हुई हिंसा को देखते हुए 19 घंटे पहले ही ऐसा करने का फैसला किया. चुनाव आयोग ने अपने ऐलान में कहा कि यह शायद पहली बार है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनुच्छेद 324 का इस्तेमाल किया है चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल के एडीजी (सीआईडी) राजीव कुमार और प्रधान सचिव (गृह) अत्रि भट्टाचार्य को भी हटा दिया।

राजनीतिक शास्त्र के विख्यात प्रोफेसर आशुतोश वार्ष्णेय ने अपनी किताब बैटिल्स हाफ वनः इंडियाज इम्प्राबेबिल डेमोक्रेसी में लिखा है कि भारत की आजादी के बाद तीन परियोजनाएं सबसे महत्वपूर्ण थी जिनको कि नए लोकतंत्र को हासिल करना था। पहली, राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित करना, दूसरी सामाजिक व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर मौजूद भारतीयों के लिऐ न्याय सुनिश्चित करना और उनको गरिमापूर्ण जीवन देना और तीसरी चारों तरफ फैली गरीबी को खत्म करना। सभी राष्ट्रों के लिए इस तरह के लक्ष्य रखना सामान्य बात है। हमारे संस्थापकों ने मंसूबा बनाया था कि आजादी का लाभ सबको मिल सके और उसी जद्दोजहद में शुरू से ही हमारा लोकतंत्र लगा हुआ है। पिछले 70 वर्षों के सफर में बहुत अड़चनें आयी जिनमें से कुछ को इस लेख में गिनाया भी गया है। भारत की लोकशाही की खासियत है कि समय–समय पर उनको दुरूस्त करने की कोशिश भी होती रहती है। लेकिन सच्ची बात यह है कि सही लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत अधिक प्रयास किये जाने हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *पी.पी. राव (2014), 'इंडिया एलिंग इलेक्टोरल सिस्टम : नीट फॉर रिफॉर्म्स', विवेकानन्द इंटरनेशनल फाउंडेशन, एचटीटीपी : वीआईएफआईइंडिया. ओआरजी (11 जून, 2014 को देखा गया)*
2. *रिफॉर्म्स ऑफ द इलेक्टोरल लॉज (1999), लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170वीं रपट, नयी दिल्ली।*
3. *इलेक्टोरल रिफॉर्म्स : व्यूज एंड प्रपोजल्स (1998), इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नयी दिल्ली।*
4. *जगदीप एस. छोकड़ (2001), 'इलेक्टोरल रिफॉर्म्स : नीड फॉर सिटीजंस इनवॉल्वमेंट', इकॉनॉमिक एंड*

पॉलिटिकल वीकली, खंड 36, अंक 12, पृष्ठ 3977–3980।

5. *संजय कुमार (2002), 'रिफॉर्म्स इंडियन इलेक्टोरल प्रोसेस', इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खण्ड 37, अंक 34, पृष्ठ 3489–3491।*
6. *सुब्रत के मित्रा – पॉलिटिक्स इन इंडियाः स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड पॉलिसी*
7. *नेशनल इलेक्शन वॉच और एशोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का चुनावी विश्लेषण (2014 और 2019)*
8. *भारतीय निर्वाचन आयोग की बेवसाईट*